



दैनिक जागरण

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE



दैनिक भास्कर



THE HINDU

जनसत्ता

Paity

CURRENT AFFAIRS

IAS/PCS

अब होगी करंट अफेयर्स की राह आसान

16 December

आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

लोकसभा
में पारित

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 3: आपदा प्रबंधन, जीएस पेपर 2: राजनीति: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ





आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

चर्चा में क्यों?

मंजूर करने

12 दिसंबर
2024

- लोकसभा ने 12 दिसंबर, 2024 को आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।
- यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सुदृढ़ करने, राज्य सरकारों को बेहतर प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और प्रबंधन प्रणालियों में स्पष्टता लाने के लिए लाया गया है।

Management





आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

प्रमुख बिंदु:


- लोकसभा ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित किया, जबकि विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए।
- केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राज्य सरकारों द्वारा झेली गई कठिनाइयों को हल करेगा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करेगा।



आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

प्रमुख बिंदु:

- विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों के बीच स्पष्टता और समन्वय सुनिश्चित करना है।
- विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह विधेयक केवल नई संस्थाओं का निर्माण करता है और समग्र दृष्टिकोण के विरुद्ध है।






आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

प्रमुख बिंदु:

- टीएमसी के सौगत रॉय ने महामारी के दौरान सरकार की विफलता की आलोचना की और विधेयक में नए अंग्रेजी शब्दों को जोड़े जाने पर टिप्पणी की।
- कांग्रेस के जी.के. पादवी ने जलवायु परिवर्तन को शामिल न करने और "मुआवजा" शब्द की जगह "राहत" का उपयोग करने पर आपत्ति जताई।

मुआवजा →





आपदा प्रबंधन विधेयक, 2024 लोकसभा में पारित

प्रमुख बिंदु:

- भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संसद में रोजाना हो रहे व्यवधानों को मानव निर्मित आपदा करार दिया और इसका स्थायी समाधान सुझाने की अपील की।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान



आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी:

- पहले, राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियां (NEC और SECs) योजना तैयार करती थीं।
- अब, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) सीधे अपनी योजनाएं तैयार करेंगे।
- NDMA को समय-समय पर आपदा जोखिमों का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

आपदा आकलन

धन

आवंटन

रक्य

तैयारी


जोखिम रजिस्टर

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

राष्ट्रीय और राज्य आपदा डाटाबेस:

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक समग्र आपदा डाटाबेस बनाने का प्रावधान है।
- इसमें आपदा आकलन, धन आवंटन, खर्च, तैयारी योजनाएं और जोखिम रजिस्टर शामिल होंगे।




आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

NDMA में नियुक्तियां:

- NDMA को अपने कर्मचारी और विशेषज्ञ नियुक्त करने का अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।




आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- राज्य सरकारों को अपने राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA) बनाने का अधिकार मिलेगा।
- इन प्राधिकरणों का नेतृत्व नगर आयुक्त और जिला कलेक्टर करेंगे।



आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF):

- राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) बनाने का अधिकार दिया गया है।
- राज्य सरकार इन बलों के कार्य और सेवा शर्तों को परिभाषित करेगी।


प्र.पु. के किसी
दिले में
जा

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

मौजूदा समितियों को वैधानिक दर्जा:

- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) और उच्च स्तरीय समिति (HLC) को वैधानिक दर्जा दिया गया है।
- NCMC बड़े राष्ट्रीय प्रभाव वाली आपदाओं से निपटेगी, जबकि HLC राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।




आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

मुख्य प्रावधान

नियम और दंड:

- नया सेक्शन 60A जोड़ा गया है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार किसी व्यक्ति को आपदा प्रभाव कम करने के लिए कार्रवाई करने या रोकने का निर्देश दे सकती हैं।
- नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकतम ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ✓

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च वैधानिक निकाय है।
- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था और इसकी औपचारिक स्थापना 27 सितंबर 2006 को हुई।
- NDMA का उद्देश्य भारत को आपदा-प्रतिरोधक और सुरक्षित बनाना है।



उपलब्धी NDMA के बजट होते हैं

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

NDMA की संरचना

- प्रधानमंत्री NDMA के अध्यक्ष होते हैं।
- इसमें 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
- NDMA के पास आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू करने का अधिकार होता है।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

NDMA का मुख्य उद्देश्य और दृष्टिकोण (Vision)

- NDMA का उद्देश्य भारत को आपदा-प्रतिरोधक और सुरक्षित बनाना है। यह एक समग्र, सक्रिय, तकनीक-आधारित और सतत विकास रणनीति के माध्यम से किया जाता है। यह सभी हितधारकों को शामिल करते हुए रोकथाम, तैयारी, और न्यूनीकरण (mitigation) की संस्कृति को बढ़ावा देता है।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य और जिम्मेदारियां:

- राष्ट्रीय आपदा योजना को मंजूरी देना। ✓
- आपदा प्रबंधन पर नीतियां तैयार करना। ✓
- राष्ट्रीय योजना के अनुसार, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को मंजूरी देना। ✓
- राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश तय करना।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य और जिम्मेदारियां:

- आपदा रोकथाम और प्रभाव कम करने के उपायों को विकास योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देश प्रदान करना।
- आपदा प्रबंधन नीतियों और योजनाओं को लागू करने और उनके पालन का समन्वय करना।
- आपदा न्यूनीकरण (mitigation) के लिए धन आवंटन की सिफारिश करना।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य और जिम्मेदारियां:

- केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, प्रमुख आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को सहायता प्रदान करना।
- आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण, तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के संचालन के लिए व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार करना।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

U-235 केन्द्र के दिष्टान

- भारत में यूरेनियम के खजाने मुख्य रूप से क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं।
- झारखंड राज्य में देश के कुल यूरेनियम भंडार का 70% हिस्सा स्थित है।
- प्रमुख यूरेनियम खजाने झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग जिलों, बिहार के गया जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाए जाते हैं।

कठिन खनन



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

केंद्र सरकार का योगदान:

- केंद्र सरकार योजनाएं, नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार करती है।
- यह तकनीकी, वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है।
- जिला प्रशासन केंद्र और राज्य एजेंसियों के सहयोग से आपदा प्रबंधन के अधिकांश कार्य करता है।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान

- राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC):
- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 8 के तहत गठित है।
- इसका कार्य राष्ट्रीय प्राधिकरण को सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना तैयार करना और राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं।

केंद्रीय गृह सचिव

कलेक्टर

सचिव

भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM): 

- इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण करना है।
- यह NDMA की नीतियों और दिशा-निर्देशों के तहत कार्य करता है।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):

- यह आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल है।
- यह NDMA के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करता है।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

राज्य स्तर पर संस्थान

SDMP

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):
- प्रत्येक राज्य में इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
- यह राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की नीतियां और योजनाएं तैयार करता है।
- यह विभिन्न विभागों की योजनाओं में आपदा रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण के उपायों को समन्वित करता है।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

राज्य कार्यकारी समिति (SEC):

- इसका नेतृत्व मुख्य सचिव करता है।
- यह राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करता है।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

जिला स्तर पर संस्थान

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA): ✓
- यह अधिनियम की धारा 25 के तहत हर जिले में गठित है।
- इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त होते हैं।
- सह-अध्यक्ष स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य सह-अध्यक्ष होते हैं।



भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा

DDMA की जिम्मेदारियां:

- आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन।
- जिले में निर्माण कार्यों की जांच और सुरक्षा मानकों को लागू करना।
- राहत उपायों की व्यवस्था करना और आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया देना।

12 जिला
12 जिला
3 मोड्यूल



सर्वेक्षण पोत "निर्देशक" का जलावतरण

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 3 सुरक्षा: भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ

Current
Affairs
Short





सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना का नवीनतम सर्वेक्षण पोत 'निर्देशक' 18 दिसंबर, 2024 को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को साकार करने और समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

110 मी. लम्बा
3800 टन भारी





सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम का दौरा करेंगे और नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में आईएनएस निर्देशन के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- समारोह की मेजबानी ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ करेंगे। इसमें वरिष्ठ नौसेना अधिकारी और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।



सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

प्रमुख बिंदु:

- यह जहाज कोलकाता स्थित GRSE में निर्मित है और इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो जहाज निर्माण में भारत की विशेषज्ञता और आत्मनिर्भरता के प्रति भारतीय नौसेना के विश्वास को दर्शाता है।



सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

प्रमुख बिंदु:

- 110 मीटर लंबे और लगभग 3800 टन वजनी इस जहाज को दो डीजल इंजनों से शक्ति मिलती है। इसे आधुनिक हाइड्रोग्राफिक और ओशनोग्राफिक सर्वे उपकरणों से लैस किया गया है।



सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

प्रमुख बिंदु:

- आईएनएस निर्देशन, सर्वे वेसल (लार्ज) परियोजना का दूसरा जहाज है, जिसे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, नेविगेशन में सहायता और समुद्री अभियानों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह जहाज पूर्व में 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा देने वाले निर्देशन का पुनर्जन्म है, जिसे 19 दिसंबर 2014 को सेवा मुक्त कर दिया गया था।

(3)



सर्वेक्षण पोत “निर्देशक” का जलावतरण

प्रमुख बिंदु:

- यह 25 दिनों से अधिक समय तक समुद्र में रहने की क्षमता और 18 नॉट्स से अधिक की शीर्ष गति रखता है।
- आईएनएस निर्देशन भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने, देश के जलमार्गों को मैप करने और भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए विदेशी सहयोग सर्वेक्षण में अहम भूमिका निभाएगा।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

- जीआरएसई (GRSE) एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम (PSU) है।
- यह भारत के प्रमुख राज्य-स्वामित्व वाले शिपयाडर्स में से एक है।
- स्थान: कोलकाता, पश्चिम बंगाल।



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

कार्य और सेवाएं:

- नौसैनिक और व्यावसायिक जहाजों का निर्माण
और मरम्मत।
- निर्यात जहाजों का निर्माण भी शुरू किया है।



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

स्थापना और इतिहास:

- स्थापना: 1884 में, हुगली नदी के पूर्वी तट पर एक निजी कंपनी के रूप में।
- 1916 में इसका नाम बदलकर गार्डन रीच वर्कशॉप रखा गया।
- 1960 में इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया।

गार्डन रीच वर्कशॉप

मिनीरल प्रॉडक्ट कंपनी

1884

Private Company



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

महत्वपूर्ण स्थिति:

- मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त।
- यह पहला भारतीय शिपयार्ड है जिसने 100 युद्धपोत बनाए।



गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)

प्रमुख परियोजनाएं:

- भारतीय नौसेना के लिए P17A प्रोजेक्ट के तहत तीन स्टील फ्रिगेट्स का निर्माण।
- अब तक निर्मित 100 युद्धपोतों में उन्नत फ्रिगेट्स, पनडुब्बी-रोधी युद्धपोत, बेड़े के टैंकर, फास्ट अटैक क्राफ्ट आदि शामिल हैं।



जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

जॉन महामा

UPSC Syllabus Relevance:

- प्रारंभिक परीक्षा - जीएस पेपर 1: वर्तमान घटनाएं: राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व





जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

चर्चा में क्यों?

- घाना के राष्ट्रपति चुनाव में जॉन महामा ने जीत हासिल की है, और उन्होंने "नई शुरुआत" का वादा किया है। यह जीत 24 वर्षों में सबसे बड़ी जीत का अंतर है, और महामा की वापसी को घानावासियों ने स्वागत किया है।





जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

प्रमुख बिंदु:

- घाना के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति जॉन महामा ने शनिवार के राष्ट्रपति चुनाव में आधिकारिक रूप से विजेता घोषित होने के बाद देश के लिए "नई शुरुआत, नई दिशा" का वादा किया।
- महामा ने 56.6% वोट हासिल किए, जबकि उपराष्ट्रपति महामुदु बावुमा को 41.6% वोट मिले। यह 24 वर्षों में देश में सबसे बड़ी जीत का अंतर है।



जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

प्रमुख बिंदु:

- चुनाव में 60.9% मतदान हुआ, जैसा कि घाना के चुनाव आयोग के प्रमुख जीन मेंसा ने बताया।
- उन्होंने यह उल्लेख किया कि घाना ने "इतिहास" रचा है क्योंकि देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति, जेन नाना ओपोकु एजीमांग को चुना।



जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रपति नाना अकीफो-अद्वो अपनी दो कार्यकाल की सीमा समाप्त होने के बाद पद छोड़ रहे हैं।
- यह चुनाव घाना के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट के बीच हुआ है।
- महामा, जो 65 वर्ष के हैं, पहले 2012 से 2017 तक घाना के राष्ट्रपति थे, जब उन्हें अकीफो-अद्वो ने प्रतिस्थापित किया था। उन्होंने 2020 का चुनाव भी हारा था, इसलिए यह जीत उनकी शानदार वापसी मानी जा रही है।



जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

प्रमुख बिंदु:

- महामा की नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस (NDC) और सत्तारूढ़ NPP ने 1992 में घाना में बहुदलीय राजनीति की वापसी के बाद से सत्ता में वैकल्पिक रूप से शासन किया है।
- कोई भी पार्टी लगातार दो से अधिक कार्यकालों तक सत्ता में नहीं रही है, और यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।



जॉन महामा बने घाना के नए राष्ट्रपति

प्रमुख बिंदु:

- महामा के पिछले कार्यकाल को एक बीमार अर्थव्यवस्था, बार-बार बिजली कटौती और भ्रष्टाचार के कांडों से धक्का लगा था।
- चुनाव प्रचार के दौरान, महामा ने घाना को "24 घंटे की अर्थव्यवस्था" में बदलने का वादा किया था।
- नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 7 जनवरी 2025 को होगा।

24-घंटे की अर्थव्यवस्था

- 24-घंटे की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मॉडल है, जिसमें आर्थिक संरचना या बुनियादी ढांचा इस प्रकार समायोजित किया जाता है, जिससे व्यवसायों, कारखानों, सरकारी सेवाओं, रेस्तरां, दुकानों, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकों और अन्य सेवाओं के लिए 24 घंटे संचालन की सुविधा मिल सके।



24-घंटे की अर्थव्यवस्था

24-घंटे की अर्थव्यवस्था के लाभ

- नागरिकों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- व्यापार-व्यवसाय के अवसरों और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है।
- कंपनी या संगठन में संसाधनों, विशेषकर निष्क्रिय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है।



24-घंटे की अर्थव्यवस्था

24-घंटे की अर्थव्यवस्था के लाभ

- अर्थव्यवस्था में खर्च बढ़ता है। ✓
- पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ✓
- कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। ✓
- कंपनियों/संगठनों के लिए स्टाफिंग लागत में कमी आती है।
- विनिर्माण उद्योगों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती हैं।



24-घंटे की अर्थव्यवस्था

24-घंटे की अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

- सुरक्षा संबंधी समस्याएं।
- बिजली की आपूर्ति का विश्वसनीय होना (ऊर्जा 24-घंटे की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है)।
- परिवहन प्रणाली।
- 24-घंटे की अर्थव्यवस्था के संचालन को समर्थन देने वाले कानूनी ढांचे या नीति दिशानिर्देशों की कमी।
- Nuisance कर और ऋणों पर उच्च ब्याज दरें।



घाना के बारे में जानकारी

- स्थान: पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित देश।
- महत्व: भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या में छोटा होने के बावजूद, घाना अफ्रीका के प्रमुख देशों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक संपत्ति और उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला काले अफ्रीकी देश होने के कारण प्रसिद्ध है।



घाना के बारे में जानकारी

सीमाएँ:

- उत्तर-पश्चिम और उत्तर में बुर्किना फासो।
- पूर्व में टोगो।
- दक्षिण में अटलांटिक महासागर।
- पश्चिम में कोटे डी' आइवोयर।



घाना के बारे में जानकारी

- राजधानी: **अक्रा**, जो एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र है और वर्तमान में घाना का वाणिज्यिक और शैक्षिक केंद्र है।
- महत्वपूर्ण शहर: **कुमासी** जो दक्षिण-मध्य घाना में स्थित है। इसे "पश्चिमी अफ्रीका का गार्डन सिटी" कहा जाता है और यह असांते लोगों के राजा का निवास स्थान है, जो असांते साम्राज्य का हिस्सा था।



घाना के बारे में जानकारी


- आर्थिक स्थिति: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक, खनिज संसाधनों, विशेष रूप से सोने और कोको के उत्पादन में प्रमुख।
- प्राकृतिक संसाधन: सोना, कोको, बक्साइट, और तांबा।
- इतिहास: घाना ने 1957 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, यह अफ्रीका का पहला उपनिवेश-मुक्त देश था।



प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 2: शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे





प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुम्भ सहायक चैटबोट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य महा कुम्भ यात्रा को सरल बनाना है। यह चैटबोट श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन, पार्किंग, आवास और अन्य जानकारी 11 भाषाओं में प्रदान करेगा।





प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'कुम्भ सहायक' चैटबोट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य महा कुम्भ में आने वाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और बेहतर बनाना है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस आयोजन के डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया था।



प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

प्रमुख बिंदु:

- यह चैटबोट श्रद्धालुओं को महा कुम्भ से संबंधित सभी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा, जैसे मार्गदर्शन, पार्किंग, और आवास की जानकारी।
- चैटबोट 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांगला, और उर्दू शामिल हैं।



प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

प्रमुख बिंदु:

- उपयोगकर्ता मोबाइल डिवाइस पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वॉयस या टेक्स्ट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं, और पसंदीदा भाषा में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।



प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

प्रमुख बिंदु:

- श्रद्धालु अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं और महा कुम्भ के पृष्ठभूमि में सेट की गई एक व्यक्तिगत छवि प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वे सहेज सकते हैं और एक यादगार के रूप में साझा कर सकते हैं।



प्रधानमंत्री ने किया कुम्भ सहायक AI चैटबॉट का शुभारंभ

प्रमुख बिंदु:

- चैटबोट महा कुम्भ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण तिथियाँ और आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।

जानकारी

महाकुंभ मेला के बारे में

- यह एक पवित्र तीर्थयात्रा है, जो 12 वर्षों के दौरान चार बार मनाई जाती है।
- कुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सभा है, लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं ताकि अपने पापों से मुक्ति पा सकें और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।



महाकुंभ मेला के बारे में

- यह पवित्र आयोजन भारत के चार स्थानों—हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज—में होता है, जिनमें से प्रत्येक पवित्र नदी के किनारे स्थित है: गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम।



महाकुंभ मेला के बारे में

ऐतिहासिक महत्व

- पौराणिक जड़ें: महाकुंभ मेला, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा प्रसारित किया गया, यह पर्व पुराणों से लिया गया है, जहां देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन (समुद्र मंथन) किया था अमृत (अमरता का अमृत) प्राप्त करने के लिए। माना जाता है कि अमृत के चार बूँदें वर्तमान कुंभ स्थानों पर गिरी थीं।



महाकुंभ मेला के बारे में

ऐतिहासिक महत्व

- प्राचीन काल: मौर्य और गुप्त साम्राज्य (4वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईस्वी तक) के दौरान इस पर्व का महत्व बढ़ा, जो हिंदू धर्म के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
- मध्यकाल: चोल और विजयनगर राजवंशों ने इसका समर्थन किया। अकबर ने इसकी समावेशिता को बढ़ावा दिया और साधुओं को शाही सम्मान दिए।



महाकुंभ मेला के बारे में

ऐतिहासिक महत्व

- औपनिवेशिक काल: ब्रिटिश पर्यवेक्षकों जैसे जेम्स प्रिंसेप ने मेले के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का दस्तावेजीकरण किया।
- आधुनिक पहचान: स्वतंत्रता के बाद, कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। 2017 में, इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।



महाकुंभ मेला के बारे में

कुंभ के प्रकार

- पूर्ण कुंभ मेला: हर 12 साल में प्रत्येक स्थान पर आयोजित होता है।
- अर्ध कुंभ मेला: हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज के बीच वैकल्पिक रूप से मनाया जाता है।
- महाकुंभ मेला: हर 144 वर्षों में (12 वर्ष के कुंभ मेलों के 12 चक्र के बाद), विशेष रूप से प्रयागराज में।
- माघ कुंभ मेला: एक वार्षिक घटना जो माघ महीने (जनवरी-फरवरी) में प्रयागराज में मनाई जाती है।



महाकुंभ मेला के बारे में

कुंभ मेला के अनुष्ठान

शाही स्नान :

- यह अनुष्ठान कुंभ मेला का सबसे शुभ अनुष्ठान माना जाता है।
- स्थान के आधार पर यह गंगा, यमुना या गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में किया जाता है।
- साधु और संत विभिन्न अखाड़ों से भव्य जुलूस में स्नान के लिए आते हैं। यह अनुष्ठान पापों से मुक्ति और मोक्ष (मोक्ष) की प्राप्ति का प्रतीक है।
- 'राजयोगी स्नान': इस नाम से यह अनुष्ठान राजसी और पवित्र माना जाता है।

महाकुंभ मेला के बारे में

कुंभ मेला के अनुष्ठान

अखाड़े और उनकी उत्पत्ति:

- "अखाड़ा" शब्द "अखंड" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "अविभाज्य" या "सनातन," जो एकता और आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक है।
- 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा तपस्वी संगठनों को एकजुट करने के लिए अखाड़े की स्थापना की गई थी। अखाड़ों का उद्देश्य सनातन धर्म (सनातन परंपरा) की रक्षा करना है।



महाकुंभ मेला के बारे में

अखाड़ों के प्रकार


1. शैव अखाड़े: भगवान शिव के प्रति समर्पित।
2. वैष्णव अखाड़े: भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
3. उदासीन अखाड़े: चंद्र देव और गुरु नानक के पुत्र से जुड़े, जो सिख और हिंदू दर्शन का मिश्रण करते हैं।



महाकुंभ मेला के बारे में

पेशवाई जुलूस

- ये भव्य जुलूस अखाड़ों के आगमन को शाही अंदाज में प्रदर्शित करते हैं।
- इसमें प्रतिभागी हाथी, घोड़े या रथ पर सवार होते हैं, जो पारंपरिक आभूषण और ध्वज से सजे होते हैं।
- ये जुलूस हिंदू परंपराओं की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं, जो हजारों दर्शकों और भक्तों को आकर्षित करते हैं।



महाकुंभ मेला के बारे में

आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

- संत और आध्यात्मिक नेता हिंदू दर्शन, नैतिकता और धर्म के सार पर प्रवचन देते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम:

- भारतीय संगीत और नृत्य की प्रदर्शनियाँ।
- कारीगरी और पारंपरिक कला की प्रदर्शनी जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को दर्शाती है।




महाकुंभ मेला के बारे में

आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

कुंभ 2019 ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए:

- सबसे बड़ा यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना।
- पेंट माय सिटी स्कीम के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग की गतिविधि।
- सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

UPSC Syllabus Relevance:

- जीएस पेपर 2: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते






स्विट्जरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

चर्चा में क्यों?

- स्विट्जरलैंड ने भारत-स्विट्जरलैंड डबल टैक्सेशन अवायडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में MFN क्लॉज को निलंबित करने का निर्णय लिया है, जिससे स्विस् कंपनियों को उच्च करों का सामना करना पड़ेगा, जबकि EFTA-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा।





स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

प्रमुख बिंदु:

- स्विटजरलैंड ने भारत और स्विटजरलैंड के बीच 1994 में हस्ताक्षरित और 2010 में संशोधित डबल टैक्सेशन अवायडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) क्लॉज को 1 जनवरी 2025 से निलंबित करने का निर्णय लिया है।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

प्रमुख बिंदु:

- यह निर्णय भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के एक फैसले के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि DTAA को केवल तब लागू किया जा सकता है जब उसे आयकर अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाए।
- इस फैसले के परिणामस्वरूप स्विस कंपनियों जैसे कि नेस्ले को लाभांश पर उच्च करों का सामना करना पड़ेगा।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

प्रमुख बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया, जो यह सुनिश्चित करता था कि कंपनियों और व्यक्तियों को विदेशों में काम करने या विदेशी संस्थाओं के लिए काम करने पर दोहरी कराधान से मुक्त रखा जाए।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

प्रमुख बिंदु:

- कर विशेषज्ञों के अनुसार, स्विटजरलैंड का यह कदम भारत में निवेश को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि लाभांश पर उच्च विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

प्रमुख बिंदु:

- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देशों, जिसमें आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड शामिल हैं, ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें EFTA देशों ने भारत में 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया था।
- हालांकि, स्विस् दूतावास ने कहा कि इस फैसले का EFTA-भारत TEPA पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Most Favoured Nation (MFN)

- MFN क्लॉज एक देश को यह अनिवार्य बनाता है कि वह किसी व्यापारिक साझेदार को दी गई व्यापारिक छूट को सभी अन्य साझेदारों को भी समान रूप से प्रदान करे।
- यह एक व्यापारिक सिद्धांत है जिसके तहत एक देश दूसरे देश को समान या बेहतर व्यापारिक शर्तें प्रदान करता है, जो उसने अन्य किसी देश को दी हैं।



Most Favoured Nation (MFN)

- DTAA में MFN: जब दो देश डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) पर हस्ताक्षर करते हैं, तो MFN क्लॉज यह सुनिश्चित करता है कि एक देश को दूसरे देश से प्राप्त व्यापारिक लाभ की शर्तें अन्य किसी देश से बेहतर नहीं होनी चाहिए।



Most Favoured Nation (MFN)

- यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) का एक मूल सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, यदि एक WTO सदस्य देश किसी उत्पाद पर एक व्यापारिक साझेदार के लिए शुल्क में कमी करता है, तो उसे उसी छूट को अन्य सभी WTO सदस्य देशों को भी देना होता है।



Most Favoured Nation (MFN)

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य व्यापारिक निष्पक्षता को बढ़ावा देना और किसी देश को विशेष लाभ देने से बचना है।

प्रभाव:

- यदि एक देश को किसी अन्य देश से बेहतर शर्तें मिलती हैं, तो उस देश को भी उसी शर्त पर लाभ मिलना चाहिए।



Most Favoured Nation (MFN)

लक्ष्य:

- MFN का उद्देश्य शक्ति आधारित नीतियों को नियम आधारित ढांचे से बदलना है, जिसमें व्यापार अधिकार किसी देश की आर्थिक या राजनीतिक ताकत पर निर्भर नहीं होते।



Most Favoured Nation (MFN)

MFN स्थिति का हटाना:

- MFN उपचार को निलंबित करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, और यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सदस्य ऐसा करते हैं तो उन्हें WTO को सूचित करना आवश्यक है या नहीं।





स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

European Free Trade Association (EFTA) के बारे में:

- EFTA: यह एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिकटेन्स्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
- स्थापना: इसे 1960 में स्टॉकहोम सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था।





स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

European Free Trade Association (EFTA) के बारे में:

- **EU के साथ समानांतर:** EFTA यूरोपीय संघ (EU) के समानांतर कार्य करता है, और इसके सभी चार सदस्य राज्य यूरोपीय सिंगल मार्केट का हिस्सा हैं और शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा भी हैं। हालांकि, ये EU कस्टम यूनियन का हिस्सा नहीं हैं।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

European Free Trade Association (EFTA) के बारे में:

EFTA के मुख्य कार्य:

- EFTA समझौते का रख-रखाव: यह समझौता चार EFTA देशों के बीच आर्थिक संबंधों को विनियमित करता है।
- European Economic Area (EEA) समझौते का प्रबंधन: यह समझौता EU और EFTA के तीन सदस्य देशों (आइसलैंड, लिकटेनस्टीन और नॉर्वे) को एक एकल (आंतरिक) बाजार में जोड़ता है।



स्विटजरलैंड ने भारत को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (MFN) से बाहर किया

European Free Trade Association (EFTA) के बारे में:

EFTA के मुख्य कार्य:

- मुक्त व्यापार समझौतों का विकास: EFTA का उद्देश्य दुनिया भर में मुक्त व्यापार समझौतों का नेटवर्क विकसित करना है।



22वीं दिव्य कला मेला

चर्चा में क्यों?

- 22वीं दिव्य कला मेला 12-22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें विकलांग कलाकारों और उद्यमियों द्वारा कला, उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।





22वीं दिव्य कला मेला

प्रमुख बिंदु:

- यह मेला 12 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के ऐतिहासिक इंडिया गेट पर आयोजित किया जाएगा, जो विकलांग कलाकारों, उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करेगा।



22वीं दिव्य कला मेला

प्रमुख बिंदु:

- यह आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।



22वीं दिव्य कला मेला

प्रमुख बिंदु:

- प्रतिभागी: मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की भागीदारी होगी।
- मेला प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा।



22वीं दिव्य कला मेला

आयोजनों की विशेषताएँ:

विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन:

- हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम
- पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी और जीवनशैली उत्पाद
- होम डेकोर
- पैक किए गए खाद्य और जैविक उत्पाद
- खिलौने, गहने, उपहार और व्यक्तिगत सहायक सामान



22वीं दिव्य कला मेला

आयोजनों की विशेषताएँ:

- **सांस्कृतिक कार्यक्रम:** दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कला की आकर्षक प्रस्तुतियाँ होंगी। मेले का समापन 'दिव्य कला शक्ति' सांस्कृतिक कार्यक्रम से होगा, जिसमें दिव्यांगजन की कला और कौशल का प्रदर्शन होगा।
- विभिन्न क्षेत्रों से आए खाद्य स्टॉल्स पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है।



22वीं दिव्य कला मेला

आयोजनों की विशेषताएँ:

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम:

- यह मेला दिव्यांगजन के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक आंदोलन है, जो उन्हें अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है।



22वीं दिव्य कला मेला

आयोजनों की विशेषताएँ:

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम:

- अब तक, दिव्य कला मेला भारत के 21 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है।
- स्थानीय कारीगरों को समर्थन: यह मेला स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन देता है और दिव्यांगजन के आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाता है।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार



भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- गुजरात: मोढेरा नृत्य महोत्सव, सप्तक संगीत महोत्सव, पतंग महोत्सव, होली, नवरात्रि।
- हरियाणा: बैसाखी उत्सव, सूरजकुंड शिल्प मेला।
- असम: माजुली उत्सव, देहिंग पटकाई उत्सव, अंबुबासी उत्सव, बोहाग बिहू, बैशागु उत्सव।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- झारखंड: सरहुल, दंसी, करमा, हल पुन्ह्या, रोहिन बंदना।
- गोवा: लदैन्हा, फॉन्टेनहास कला महोत्सव, सनबर्न महोत्सव, मांडो महोत्सव, घुमोट उत्सव, चिकलकगलो, गोकुल अष्टमी, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व।
- बिहार: बिहुला, छठ पूजा, राजगीर नृत्य महोत्सव, मधुश्रावणी, सामा चकेवा, जीवित्पुत्रिका।




22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- मध्य प्रदेश: तेजाजी मेला, खजुराहो उत्सव।
- जम्मू और कश्मीर: दोसमुची उत्सव, माथो नारंग, जेमिस उत्सव, गाल्डन नामचोट।
- ओडिशा: कोणार्क महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव।
- कर्नाटक: पत्तदकल नृत्य उत्सव, गुड़ी पड़वा।





22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- केरल: ओणम, निशागांधी उत्सव, वैकठष्टमी उत्सव।
- राजस्थान: बूंदी उत्सव, मरू उत्सव, गणगौर उत्सव, मातस्य उत्सव, ब्रज उत्सव, शेखावाटी उत्सव।
- महाराष्ट्र: कालिदास उत्सव, चीकू उत्सव, दिवाली।
- तमिलनाडु: पोंगल, थाईपूसम, जल्लीकट्टू त्योहार, नाट्यांजलि त्योहार।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- तेलंगाना: बोनालु उगादी, बथुकम्मा, कोथाकोंडा जतारा।
- मिजोरम: चपचारकुट महोत्सव।
- नगालैंड: हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव।
- उत्तर प्रदेश: कुम्भ मेला, रामलीला।
- पंजाब: लोहड़ी।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- मणिपुर: याओशांग, चवांग कुट, बिहू, पोरगा।
- सिक्किम: सागा दावा।
- पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा, नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव।
- दिल्ली: कुतुब महोत्सव, भारत रंग महोत्सव, सबरंग उत्सव, सिफ्सी, जहान-ए-खुरौ।
- त्रिपुरा: खर्ची पूजा।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- अरुणाचल प्रदेश: सोलुंग, लोसर महोत्सव, मुरुंग, रेह, मोपिन, बूरी बूट, मोनपा महोत्सव।
- उत्तराखंड: गंगा दशहरा।



22वीं दिव्य कला मेला

भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्योहार

भारत के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की सूची निम्नलिखित है:

- मेघालय: वांगला महोत्सव, अहैया महोत्सव, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, बॉब डायलन महोत्सव।
- आंध्र प्रदेश: ब्रह्मोत्सवम, श्री राम नवमी, दक्कन उत्सव, उगादी या तेलुगु नव वर्ष, दशहरा, दुर्गा उत्सव।

m.gmp